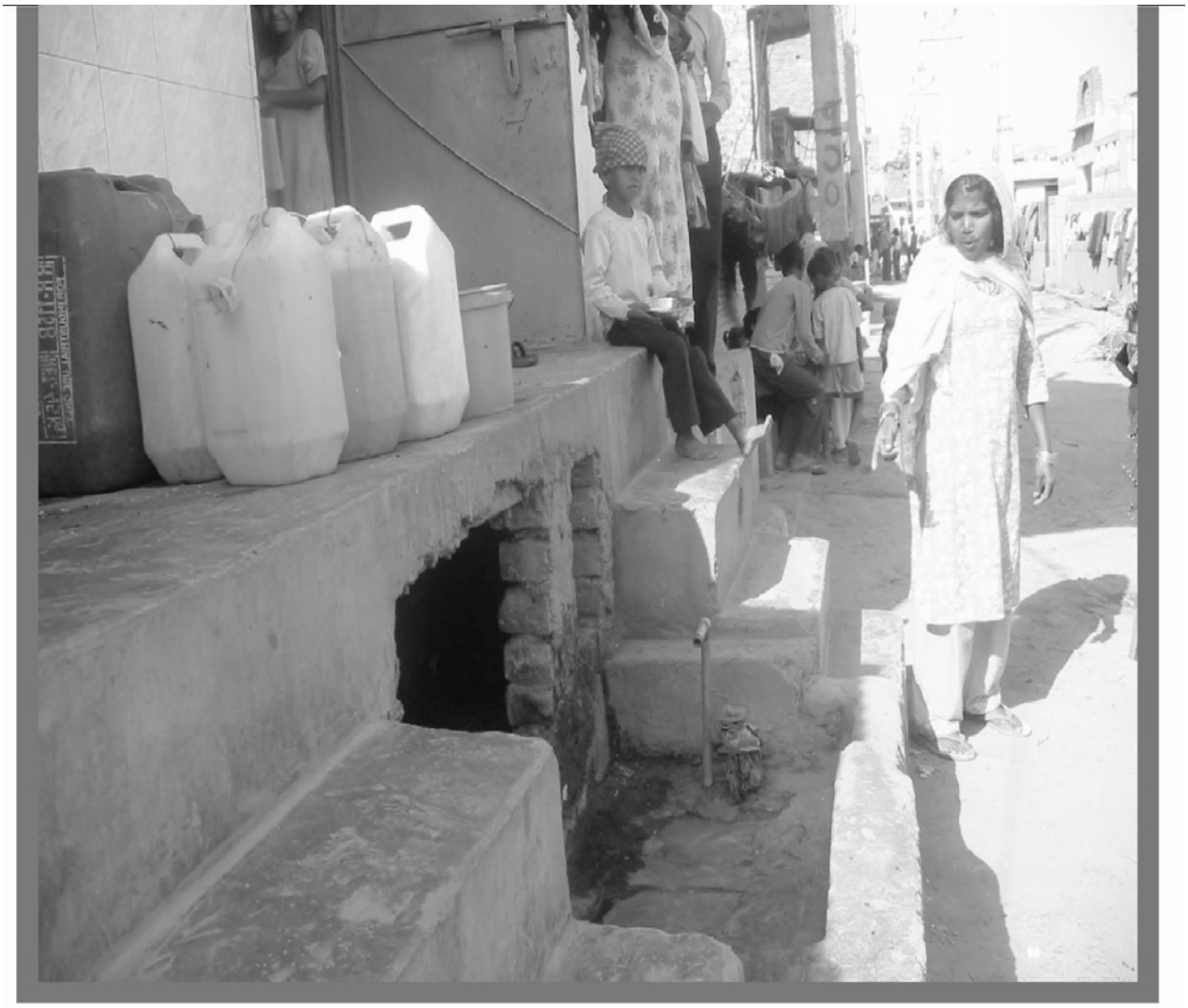

एशियाई शहरों में पानी और सार्वजनिक सुविधाओं तक महिलाओं की पंहुच और उनके अधिकार (2009–2011)

इंटर्नेशनल डेवल्पमेंट रिसर्च सेंटर (आई डी आर सी) के सहयोग से जागोरी और वुमन इन सिटिज़ इंटर्नेशनल (डब्लूय आई सी आई) की सम्मिलित अगुवाई।

मुख्य शोध

एशियाई शहरों में पानी और सार्वजनिक सुविधाओं तक महिलाओं की पंहुच और उनके अधिकार (2009–2011)

इंटर्नेशनल डेवल्पमेंट रिसर्च सेंटर (आई डी आर सी) के सहयोग से जागोरी और वुमन इन सिटिज़ इंटर्नेशनल (डब्लूय आई सी आई) की सम्मिलित अगुवाई

कुछ मुख्य शोध

अध्ययन में सहभागी संस्थायें : एक्शन इंडिया और सीबीजीए

अन्य सहयोगीः विमेन फ़िचर सर्विस, कृति रिसोर्स सेन्टर, वन वर्ल्ड फाउन्डेशन

22, जुलाई 2011

एशियाई शहरों में पानी और सार्वजनिक सुविधाओं तक महिलाओं की पंहुच और उनके अधिकार (2009–2011)

इंटर्नेशनल डेवल्पमेंट रिसर्च सेंटर (आई डी आर सी) के सहयोग से जागोरी और वुमन इन सिटिज़ इंटर्नेशनल (डब्लूय आई सी आई) के बीच एक्शन इंडिया के साथ एक सांझा एक्शन रिसर्च प्रो**जक्ट**

भाग 1

एशिआई शहरों (2009–2011) में पानी और साफ सफाई व शौचालय सुविधाओं तक पंहुच और महिलाओं के अधिकार पर एक एक्शन रिसर्च प्रोजक्ट दिल्ली के दो पुनर्वासित कॉलोनियों बवाना और भलस्वा की झुग्गी झोपड़ी में चलाया गया। जागोरी ने बवाना बस्ती क्षेत्र और प्रोजेक्ट के लागू करने में सहभागी संस्था एक्शन इंडिया ने भलस्वा बस्ती में जागोरी व वूमेन इन सीटिज़ इंटर्नेशनल के तकनीकि सहयोग से काम किया। दोनों ही संस्थाओं का इन बस्तीयों में अपने काम का इतिहास है। प्रोजेक्ट इंटर्नेशनल डेवल्पमेंट रिसर्च सेंटर (आई डी आर सी) के फंड सहयोग से किया गया।

एक्शन रिसर्च का उद्देश्य औरतों के सुरक्षा ऑडिट प्रणाली को परखने और उसे व्यवहार में लाने का था जिससे समुदाय की औरतों को उनके स्थानीय प्रशासन व अन्य सहभागियों से चर्चा का एक ठोस मॉडल मिल सके ताकि वे पानी और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पानी, शौचालय, नाली, ठोस कूड़ाकरकट व्यवस्था और बिजली में जेंडर कमी को सम्बोधित कर सकें।

महिला सुरक्षा ऑडिट एक ऐसी प्रणाली है जो महिलाओं और लड़कियों को सक्षम बनाती है कि वे अपने इलाके में संबद्ध सरकार और आवश्यक सुविधा पंहुचाने वाले लोगों से अपनी समस्याओं और असुविधाओं के अनुभव बांट सकें। ताकि दोनों मिलकर ऐसे बदलाव ला सकें कि औरतें और लड़कियॉ अपने इलाके में सुरक्षित रह सकें, काम कर सकें और अपने पड़ोस और शहर को सुरक्षित बनाने में सहयोगी भूमिका निभा सकें।

इस एक्शन रिसर्च के ज़रिए महिला सुरक्षा ऑडिट प्रणाली को निम्नलिखित चरणों में परिवर्तित किया गया।

1. गैर सरकारी महिला संस्थायें और समुदाय की महिलायें शहरी नीतियों से खुद को परिचित करा सकें।
2. महिला समूह की प्रोजेक्ट सदस्य और समुदाय कि महिला प्रतिनिधि मिलकर तुंरत जेंडर मूल्यांकन करें – अपने समुदाय में मौजूदा व्यवस्थाओं, सुविधाओं और सेवाओं का आंकलन कर सकें।

3. मुख्य जानकार लोगों का इंटरव्यूह करना – सेवा मुहैय्या कराने वाले।
4. फोकस समूह चर्चा – महिलाओं, आदमियों, लड़कियों, लड़कों और समुदाय के साथ।
5. गहराई से इंटरव्यूह करना – सीमांतिकरण और पंहुच की संभावना।
6. महिला सुरक्षा ऑडिट भ्रमण।
7. परिणाम का पुर्नावलोकन करना और चिन्हित की गई समस्याओं को संबोधित करने के लिए रणनीति निर्माण करना।

महिला सुरक्षा ऑडिट का परिवर्तित रूप एक हैंडबुक के रूप में निकाला गया। ''हैंडबुक ऑन वूमेन सेफ्टी ऑडिट इन लो–इंकम अर्बन नेबरहुडः ए फोकस ऑन एसेन्शियल सर्विसेस'' http://jagori.org/wp-content/uploads/2006/01/Handbook1.pdf or http://womenincities.org/pdf-general/idrc_hanbook_wsalow-income.pdf वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया औरतों के जिवंत अनुभव पर आधारित है। इसने औरतों को अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण को विश्लेषण करने की प्रक्रिया प्रदान की, हांलाकि इसने औरतों को तनाव भी दिए कि कुछ खास समस्याओं का हल कम समय में हासिल कर पाना मुश्किल है। सुरक्षा ऑडिट प्रणाली व अन्य प्रणाली से परिचित होकर उनमें यह क्षमता आई कि वे परख सकें कि सुरक्षा का जेंडर के साथ जुड़ाव उनके इलाके में ढांचों और सुविधाओं की कमी पर किस तरह से असर डालता है। अब वे इन ढांचों और सुविधाओं में व्याप्त जेंडर की कमी को पैरवी और अपने प्रतिनिधित्व से संबोधित करेंगी।

प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य परिणाम

बवाना

बवाना में औरतों, उनके समुदाय और सफाई कर्मचारियों और ठोस कूड़ाकरकट प्रबन्धन और नालियों के अधिकारियों के बीच पनपा नया संबन्ध एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में सामने आया है। पहले किसी भी गली ब्लाक में कम से कम एक या दो महिलायें उचित सेवाओं के लिए झगड़ती थीं; हंलाकि वे अपने पड़ोसियों से ऐसा करने के लिए हतोत्साहित की जाती थीं। अब, इस प्रोजेक्ट की पंहुच और सुविधा प्रदान कराने वालों से तालमेल से, कई गलियों में महिला व पुरूष और बवाना के 5 ब्लाकों में इस बात की समझ बनी है कि सेवा प्रदान कराने वालों के काम की गुणवत्ता, सफाई कर्मचारियों की भूमिका उनकी सीमायें और उन्हें अत्यन्त परेशान करने वाली समस्याओं को दोनों तरफ से सांझा ज़िम्मेदारियों के साथ निपटाना इन सबमें आपसी गहरा जुड़ाव है।

हांलाकि सभी के मिलजुलकर काम करने के प्रयास से कि कूड़ा उठाया जाए और नालियॉ साफ हों फिर भी यह प्रयास सत्त रह सके यह सेवाओं की कमियों और ख़राब व्यवस्थाओं की वज़ह से असम्भव ही रहा। कई नालियों का निर्माण पहले तो बहुत ही ख़राब ढंग से किया गया फिर जब वहां लोग विस्थापित होकर आये तब उसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा नालियों का निर्माण कम संख्या में कम आबादी के लोगों के लिए किया गया। बवाना की आबादी उन सीमित क्षमताओं से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। आज, लगभग एक साल की अवधि में नालियॉ गंदे पानी, मल और ठोस कूड़े से भरकर बह रही हैं जिससे कई गलियॉ इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गई हैं जो न केवल औरतों बल्की वहां के सभी बांशिदों के जान और उनकी सुरक्षा के लिए ख़तरा साबित हो रही हैं।

दूसरा ध्यान देने लायक बदलाव यह आया है कि औरतों और लड़कियों को सामुदायिक शौचालय कॉम्पलैक्स (सी टी सी) जाते समय होने वाली छेड़छाड़ व हिंसा में कमी आई है। पहले जब महिलायें और लड़कियॉ सी टी सी जाया करती थीं या इस्तेमाल के लिए कतार में खड़ी होती थीं तो लड़के और आदमी उन्हें परेशान किया करते थे। सुरक्षा ऑडिट भ्रमण के दौरान युवाओं और बुजुर्ग रिहायशियों में, सी टी सी के प्रबन्धकों से लगातार बातचीत से लोगों में इस बात की समझ बनी है कि किस तरह की हरकतों से महिलाओं और लड़कियों में असहजता और असुरक्षा बढ़ती है। अब सी टी सी के आसपास महिलायें और लड़कियॉ खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। हांलाकि, अन्य तरह की हरकतें जैसे लड़कों का सी टी सी की छत पर चढ़ कर पंतग उड़ाना अभी तक जारी है जो महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा और छेड़छाड़ की संभावनाओं का बरकरार रखता है।

एक गहन क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम 43 महिलाओं और 11 युवाओं–4 युवा लड़कियॉ और 7 युवा लड़कों, के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत रिहायशी लोगों की एक कोर टीम निर्मित हुई जिसका काम समुदाय के अन्य लोगों को भी शामिल कर अपने समुदाय में आवश्यक बदलाव लाने का था। प्रशिक्षण का लक्ष्य थाः समुदाय की महिलाओं का शहरी स्थापना के संदर्भ में जानकारी व उनकी राजनैतिक समझ को बढ़ाना; नेतृत्व का विकास व आत्म–विश्वास व सम्मान को बढ़ाना; सत्तात्मक संबन्धों को चुनौति देना व पितृसत्ता का ख़ात्मा करना; औरतों के स्वास्थ्य और सफाई के बारे में समझ गहरी करना; और साथ ही दिल्ली और देशभर में अन्य इसी तरह के संगठनों से सीखना अपनी समझ बढ़ाना।

महिलाओं ने नये सी टी सी की डिज़ाईन को पेश किया जिसमें उन्होंने ने बंद छत और छोटी खिड़कियॉ हवा और रोशनी के प्रवाह और हर शौचालय में नलों के लगे होने का सुझाव दिया। उन्होंने बच्चों के लिए अलग खंड की मांग की जहां शौचालय और सींक दोनों की व्यवस्था हो जिसमें महिला और पुरूष दोनों ही बच्चों को शौच व नहलाने के लिए ले जा सकें। उनका मानना है कि सी टी सी में ऐसे जगह की आवश्यकता है जिसमें केवल महिलायें ही नहीं बल्कि पुरूष और देखभाल करने वाले

कर्मचारी जा सकें। वे चाहती हैं कि सी टी सी में रेलिंग या हैन्डिल की सुविधा हो जिससे गर्भवती व बुजुर्ग महिलाओं को सुविधा हो सके। और वे चाहती हैं कि शौचालय की ऊंचाई खुब ज़्यादा हो ताकि उनकी सुरक्षा और गोपनियता बनी रहे।

अन्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि युवा लोगों में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं सुविधाओं और सुरक्षा तक उनकी पंहुच पर गहरी समझ बनी है और इन मामलों की योजना कैसे बनाई जाए और क्या बदलाव लाये जायें इसपर भी समझ बनी है।

भलस्वा

ठोस कूड़ा उठाने की मोटर चालित साधन की एक छोटी सी व्यवस्था स्थापित की गई है। यह भलस्वा के मुख्य सड़क पर बने घरों से ही ठोस कूड़ा लेकर जाते हैं। औरतों को गाड़ी तक कूड़ा लेकर आना पड़ता है। भलस्वा की स्थापना के पिछले 10 सालों में यह पहली बार है जब यहां ठोस कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था बनी है।

इलाके में सुबह और रात पुलिस की गश्त से औरतों की सुरक्षा बढ़ी है।

दोपहर में निकलने वाली लड़कियों के साथ हिंसा और छेड़खानी में कमी आई है, यहां पुलिस स्कूल खत्म होने के वक्त आसपास सतर्क रूप से मौजूद रहती है ताकि लड़कियॉ सुरक्षित अपने घर पंहुच जायें।

इलाके में विभिन्न तरीकों से पानी की व्यवस्था बढ़ गई है। अब यहां पर अतिरिक्त टैंकरों की सुविधा हो गई है जो गलियों में पानी पंहुचाते हैं और वहां 5 ब्लाकों में 4 पानी के पाईप लाईन हैं। दिन में निश्चित समय में इन पाईपों में पानी छोड़ा जाता है। महिलाओं ने 4 सदस्यों का एक निगरानी दल बनाया है जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि पाईप से पानी बर्बाद न हो। जैसा कि सेवा प्रदान करने वालों ने नल प्रदान नहीं किए हैं क्योंकि पहले लगाये गए नल या तो गायब हो जाते थे या फिर टूटे मिलते थे और पानी लगातार गिरता और बर्बाद होता रहता था। अब औरतों ने पानी गिर कर बर्बाद न हो इसे रोकने के अपने तरीके निकाले हैं, वे पाईप को लकड़ी के टुकड़े या कपड़े से तबतक बंद कर देती हैं जबतक कि पानी का प्रवाह पाईप में बंद न हो जाए।

भलस्वा में काम कर रहे दो सी टी सी में से एक शौचालय में एक सफल मध्यस्थता की गई। जब महिलायें और लड़कियॉ सी टी सी इस्तेमाल के लिए जाती थीं तो आदमी और युवा लड़के सी टी सी की खुली छत से औरतों के खंड में झांका करते थे। अक्सर जब महिलायें और लड़कियॉ सी टी सी में होती थीं तो आदमी घुस भी आया करते थे। इसके अलावा शौचालय की देखरेख करने वाला कर्मचारी शौचालय की सफाई कर सारा कूड़ा सी टी सी के पीछे फेंक दिया करता था। महिलायें एकत्रित होकर कर्मचारी के पास अपनी समस्या लेकर पंहुचीं। कर्मचारी ने अपने अधिकारी से महिलाओं की समस्या के बारे में बात की और अब आदमियों को छेड़खानी से रोक दिया गया है और सी टी सी के पिछवाड़े से कूड़ा हटाकर वहां सफाई भी की गई।

अंततः, दोनों ही इलाकों बवाना और भलस्वा में संस्था के सदस्यों और समुदाय की महिलाओं ने रिसर्च के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने आवश्यक सुविधाओं और इन सुविधाओं की ओर उनके अधिकारों के बारे में बहुत सीखा। आवश्यक सुविधाओं जैसे पानी, शौचालय, नाली और ठोस कूड़ाकरकट को परखना और उन मुद्दों का जेंडर के नज़रिए से अन्तर्सम्बन्ध को समझना दोनों जागोरी और एक्शन इंडिया की टीम के लिए काम का नया क्षेत्र था। भलस्वा में स्टाफ, समुदाय की महिलाओं और युवाओं ने सीखा कि किस तरह उन्हें अपने अधिकारों के लिए एम सी डी अधिकारियों, अन्य सेवा प्रदान कराने वाले तंत्रों जैसे दिल्ली जल निगम बोर्ड और चुनावित अधिकारियों की पहचान, उनके साथ पैरवी और बदलाव के लिए काम करना है। बवाना में महिलाओं और युवाओं ने स्थानीय सेवा प्रदान कराने वाले अधिकारियों से इतना अच्छा रिश्ता बना लिया है कि वे बवाना जागोरी ऑफिस आकर 5 ब्लाकों में जहां जागोरी काम करती है उन ब्लाकों की महिलाओं से पूछ जाते हैं कि ठोस कूड़ा उठाने और नाली सफाई की क्या स्थिति है।

आगे कुछ और खोज/तथ्य

सरकार को बराबरी की दुनिया की ओर अग्रसर होना चाहिए, जहां औरतों को भी चुनाव हो और उनके अधिकारों को पहचाना जा सके। सार्वजनिक खर्चे की योजना, नीतियॉ, कानून व सन्धियॉ बनाना ज्यादा प्रभावकारी साबित नहीं होगा जब तक उनमें महिलाओं और पुरूषों की भिन्न ज़रूरतों की समझ नहीं होगी। और न ही यह प्रभावकारी होगा जबतक कि औरतें उन निर्णयों में भागीदारी न ले पाने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें जो उनके जीवन पर असर डालती है। संक्षिप्त में सरकार प्रभावकारी या अच्छी नहीं हो सकती जबतक कि वह जेंडर संवेदनशील न हो (जयाल 2003: 101; यूनिफेम: 18)

- बस्ती में रहने की समय अवधि की असुरक्षा, भूमि अधिकार और आवास की आवश्यकताओं को महिलाओं और लड़कियों की सार्वजनिक साफ सफाई के अधिकारों से जोड़ना आवश्यक है।

- महिलाओं के साफ सफाई युक्त शौचालय की सुविधा पाने के अधिकार जो केवल घर तक ही सीमित नहीं वरन् अनौपचारिक और सार्वजनिक तक भी है, उसे परखना।

- यह आवश्यक है कि पहले से किए गए शोध/खोज को परखना कि कैसे पानी को शौचालय सीवर लाईन से अलग किया जाए ताकि पानी रहित सीवर की व्यवस्था दिल्ली जैसे शहर में बनाई जाए।

- ऐसे डिज़ाईन, तकनिकी और पैरवी के तरीकों की खोज करने की ज़रूरत है जिसमें महिलाओं का सार्वजनिक सुविधाओं को पाने में उनका निर्णय और भागीदारी

सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि उनपर ही इन सुविधाओं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

- ❖ शहरी गरीबों के पानी और शौचालय व साफ सफाई पर तय बजट बढ़ाने की और खासतौर से उसमें जे जे कॉलोनी व अन्य निम्न आर्थिक इलाकों की महिलाओं और लड़कियों की ज़रूरतों के लिए बजट में प्रावधान की आवश्यकता है।
- ❖ समुदाय के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर प्रभाव औरतों और लड़कियों के समय, श्रम और आजिविका पर आधारित है। इसका अर्थ है कि गरीब औरतों की सेवायें आर्थिक लाभ रहित हैं। दिल्ली सरकार जे जे कॉलोनी रिहायशियों पर 2011–12 में पानी सप्लाई पर केवल रू 30 (US$0.66) और साफ सफाई और शौचालय पर रू 80 (US$1.78) खर्च करती है।

भाग 2

भलस्वा और बवाना में सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेन्स एनालिसिस द्वारा ऑपरचुनिटि कॉस्ट (मौका दर) पर एक छोटा अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य है सुविधाओं तक बेहतर पंहुच का समय की बचत से जुड़ाव का महत्व और इसकी (समय की नुकसान, आमदनी का नुकसान) अनुपस्थिति में होने वाले नुकसान को सामने लाना। भलस्वा के लिए विश्लेषण दो वर्गों[1] को प्रस्तुत किया गया है; वे जो पानी की सप्लाई टैंकर द्वारा करते हैं और वे जो सार्वजनिक स्टैन्ड पोस्ट पर निर्भर करते हैं। बवाना के लिए एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया गया है जो डी और के ब्लाक में ऑपरचुनिटि कॉस्ट में फर्क को दिखाता है।

- ❖ आंकड़ा यह बताता है कि ज्यादातर केसों में पानी भरने की मुख्य ज़िम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों पर ही होती है साथ ही कुछ पुरूष भी ये ज़िम्मेदारी उठाते हैं। कई बार घर के 2–3 सदस्य जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, पानी भरने का काम करते हैं। फिर भी ज्यादातर महिलायें ही यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी उठाती हैं।

- ❖ किसी काम में खर्च किये गये समय में दरअसल छोटे छोटे कामों का समावेश होता है, जैसे कि पानी के स्त्रोत तक पंहुचना, वहां इंतजार में समय, और वापसी में लगने वाला समय। प्रत्येक छोटे छोटे कामों में लगने वाले समय में परिवर्तन होता रहता है जैसे निरन्तर पानी भरने जाना, चक्कर लगाने की संख्या, रहने की जगह से पानी के स्त्रोत की दूरी, परिवार की संख्या (इसका मतलब है उपयोग में लाने वाले सदस्यों की संख्या), इंतज़ार का समय और भारी वज़न लेकर वापस घर

लौटना (यह व्यक्तिविशेष की क्षमता पर निर्भर करता है)। इस काम पर एक साल में औसतन खर्च होने वाले समय का हिसाब दो वर्गों में किया गया और इसका न्यूनतम वेतन मूल्य हुनररहित, कमहुनर और हुनरशीलता के आधार पर निकाला गया।

❖ भलस्वा में टैंकर सप्लाई के मामले में पानी के लिए टैंकर पर निर्भर रहने वाले घर 6 दिन में एक बार पानी भरते हैं और साल में औसतन समय 110 घंटे/वर्ष खर्च करते हैं। न्यूनतम वेतन के मुकाबले यदि इस समय का मूल्य हुनररहित काम की तरह लगाया जाए तो एक साल में लगभग रू.1925 का नुकसान है। यह मूल्य अनुमानित है अतः इसमें फर्क आ सकता है।

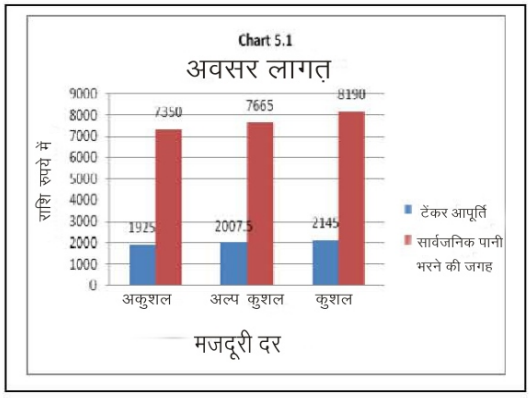

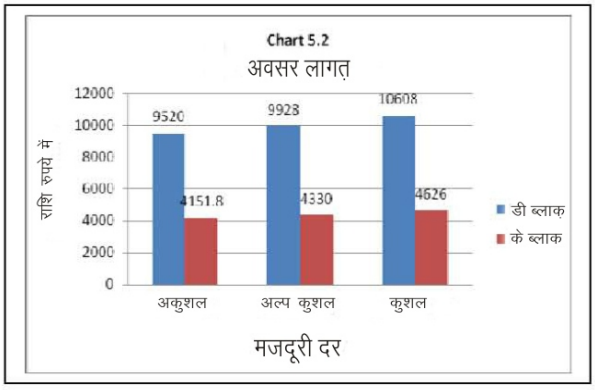

❖ भलस्वा में सार्वजनिक स्टैन्ड पोस्ट के संदर्भ में इनकी संख्या बेहद अपर्याप्त और सेवायें अनुपयुक्त हैं। वहां केवल कुछ ही स्टैंड पोस्ट हैं जो कॉलोनी में पानी सप्लाई करते हैं। लोगों की ज़रूरत और पानी की उपलब्धता के आधार पर दिन में दो या तीन चक्कर रोज पानी के लिए इस स्त्रोत तक लगाना पड़ता है। यह ढर्रा बदलता रहता है। जिन घरों में स्टैन्ड पोस्ट से पानी भरना होता है उनका इस काम के लिए एक दिन में 70 मिनट प्रति चक्कर लग जाता है। एक साल में प्रति चक्कर के आधार पर कुल समय 424 घंटा लगा जाता है। इस समय का मूल्य हुनर रहित श्रम की श्रेणी में न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जाए तो लगभग रू. 7350 (टेबल 2) सालाना नुकसान है। यह मूल्य अनुमानित है अतः पानी भरने के ढर्रे में बदलाव से, इसकी निरन्तरता से और पानी की परिवार की ज़रूरत के हिसाब से होने वाली ख़पत के हिसाब में परिर्वतन आ सकता है।

❖ भलस्वा में वे जो टैंकर सप्लाई से पानी भरते हैं और वे जो स्टैन्ड पोस्ट से पानी लेने में निर्भर हैं (साल में एक दिन में एक चक्कर का हिसाब किया गया है) उनके बीच के ऑपरचुनिटि कॉस्ट का तुलनात्मक फर्क चार्ट 5.1 में प्रस्तुत है। टैंकर सप्लाई से पानी लेने वालों का ऑपरचुनिटि कॉस्ट स्टैन्ड पोस्ट से पानी लेने वालों की तुलना में कम है। किसी भी निष्कर्ष पर पंहुचने के पहले यह ध्यान रखने योग्य

बात है कि टैंकर के पंहुचने का कोई निश्चित समय नहीं है अतः इस काम में इंतज़ार में ही सारा दिन भी गुज़र सकता है (जैसा कि एक जवाबदाता ने बताया)। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि इस काम में शामिल होने की वज़ह से कई बार बच्चों के स्कूल भी छूट गए हैं। यह तथ्य ऑपरचुनिटि कॉस्ट में शामिल नहीं किया गया है। एक छोटे से रिहायशी इलाके में पूरे एक सप्ताह तक प्रावधान की सीमा अपने आप में ही एक चुनौति है। किसी भी निष्कर्ष तक पंहुचने के लिए इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है।

❖ चार्ट 5.2 बवाना[2] के डी और के ब्लाक में ऑपरचुनिटि कॉस्ट की तुलना को प्रस्तुत करता है। के ब्लाक का ऑपरचुनिटि कॉस्ट ब्लाक डी की तुलना में कम है। यह कतई इस बात का संकेत नहीं है कि वहां बेहतर सुविधा या प्रावधान है। जैसा कि पहले भी चर्चा किया गया है कि इस ब्लाक में सार्वजनिक पानी की सप्लाई का प्रावधान नहीं है। यहां के रिहायशी पूरी तरह से बोर–वेल (ज़मीन का पानी) पर निर्भर हैं जो मोटर द्वारा निकाला जाता है। इस मोटर को लगाने और इसके प्रबन्धन में बहुत खर्चा आता है। हांलाकि इस तथ्य को अंतिम हिसाब में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह अध्ययन के बाहर था।

परिणाम के तौर पर सबसे आदर्श स्थिति या तो यह है कि :

1. रिहायशी इलाके में सीधे पाईप के कनेक्शन से पानी तक सीधी पंहुच जिसमें मीटर भी लगाया जा सकता है। शोध में दौरान 99 प्रतिशत जवाबकर्ताओं ने कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो वे इस सेवा का शुल्क दे सकते हैं। मूल्य आधारित कनेक्शन का अर्थ है कि म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को पानी[3] पर रेवन्यू न पाने के नुकसान में कमी। सर्वे में ज्यादातर ने कहा कि वे ऐसी सुविधा के लिए प्रति माह रू.50 से रू.200 तक शुल्क देने के लिए तैयार हैं। केवल कुछ ने ही शुल्क देने से मना किया।

या

2. आबादी के अनुसार उचित मात्रा में स्टैंड पोस्ट लगाना चाहिए, स्टैंड पोस्ट को सुविधाजनक जगह पर (आपस की दूरी योजना में चिन्हित होनी चाहिए), और 24 घंटे सप्लाई अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक गली के मुहाने पर यदि काम करता हुआ स्टैंड पोस्ट लगा हो तो कतार

में खड़ा रहना, पानी के स्त्रोत तक जाना फिर पानी भरकर वापस आना इन सारे समयों की बचत होगी। वार्ड और निगरानी समिति इसके मरम्मत और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं और यह ख़राब या चोरी न हो जाए इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। पुरूष व महिला दोनों सदस्यों को छोटे मोटे मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

उपयुक्त प्रावधान से समय की बचत और पानी भरने के बोझ में कमी और सहुलियत आ जायेगी। साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च भी तेजी से कम हो जायेगा।

भाग 3

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेन्स अकाउन्टेबिलिटि द्वारा जेंडर प्रतियुत्तर बजट विश्लेषण

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेन्स अकाउन्टेबिलिटि (सी बी जी ए) ने जागोरी के साथ मिलकर बवाना और भलस्वा में पानी के क्षेत्र में जेंडर प्रतियुत्तर के दो अध्ययन किए। पहले अध्ययन ने दो समुदायों में पानी का ऑपरचुनिटि कॉस्ट को परखा दूसरे अध्ययन ने दो पुर्नवासित कॉलोनियों में पानी और साफ सफाई शौचालयों के सुविधा प्रावधान की जॉच की।

विश्लेषण ने विशिष्ट शहरी पानी और सार्वजनिक सुविधा नीतियों व कार्यक्रमों का फेडेरल (यूनियन), राज्य (दिल्ली) और स्थानिय प्रशासन (एम सी डी) के स्तर को शामिल किया। जैसा कि पानी और साफ सफाई शौचालय की सुविधायें महिलायें और पुरूषों पर भिन्न तरीके से प्रभाव डालती हैं अतः यह समझने का प्रयास किया गया कि नीतियॉ और योजनायें महिलाओं को विशिष्ट तरीके से शामिल करती हैं या नहीं। पानी और साफ सफाई शौचालयों के शहरी बजट के ख़ाका सिद्धांत में दिल्ली के उत्तरी–पश्चिमी इलाके, नरेला और मॉडल टाउन के उप खंडों को शामिल किया गया है। उप खंड के स्तर पर बजट डाटा उपलब्ध न होने की वज़ह से राज्य दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए बजट खाका प्रस्तुत करती है और जल बोर्ड एजेन्सियॉ ज़िम्मेदार होती हैं आवश्यक व्यवस्था, प्रबंधन और पानी व साफ सफाई व शौचालय सुविधा प्रदान कराने के लिए, यह तथ्य अध्ययन में उपयोग में लाया गया है।

यह अध्ययन दिल्ली के शहरी पानी और साफ सफाई व शौचालयों पर उपलब्ध सार्वजनिक खर्चा विश्लेषण साहित्य के समग्र मूल्यांकन पर आधारित है। विभिन्न बजट दस्तावेज़ों का, खासतौर से दिल्ली प्रशासन के स्तर पर 2007–2008 से 2010–2011 तक पानी और साफ सफाई व शौचालयों की सुविधा के लिए 'ग्रांट के लिए विस्तृत मांग'[4], विश्लेषण किया गया। इसके अलावा पानी और साफ सफाई व शौचालय सुविधा संबन्धि विभिन्न नीतियों और योजनाओं का गहरा अध्ययन किया गया कि यह गरीब शहरी निम्न आर्थिक स्तर की महिलाओं को क्या पेश करता है। एम सी डी, दिल्ली

जल बोर्ड और दिल्ली आवास विकास बोर्ड के अधिकारियों का सम्बन्धित विषयों पर समझ बनाने के लिए इंटरव्यूह लिया गया।

लिंग विभाजन आधारित डाटा का उपलब्ध न होना, पानी और साफ सफाई व शौचालय सुविधा सम्बन्धी बजट की जानकारी कुछ अधिकारियों द्वारा न बांटना शोधकर्ताओं के लिए व इस अध्ययन के कुछ चुनौतिपूर्ण पक्ष रहे।

जेंडर प्रत्युत्तर बजट विश्लेषण के कुछ परिणाम

- शहरी पानी और साफ सफाई व शौचालय सुविधा संबन्धि नीतियों और योजनाओं में महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय 2007 की शहरी सेनिटेशन पॉलिसी और राष्ट्रीय शहरी आवास और घर पॉलिसी 2007 जो इस बात की मान्यता देती है कि खराब पानी और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा होने से महिलाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरी गरीबों (जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूयल मिशन के तहत) के मूलभूत सुविधाओं के लिए म्यूनिसिपल फंड का 20 प्रतिशत उनके लिए खर्च करने का प्रावधान है। हांलाकि, यह अभी तक लागू नहीं किया गया है।

- दिल्ली के बजट में, पानी और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा पर बजट, परिवहन व आवागमन की सुविधाओं के बाद दूसरे नम्बर पर है। ग्यारहवें पंचवर्षिय योजना के पूरे बजट खाके का 17 प्रतिशत इसके लिए है। बावजूद इसके कि 2007–2008 से 2010–2011 तक में पानी और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा के कुल बजट में बढ़ोतरी हुई है, परन्तु यदि पुरे दिल्ली के बजट से तुलना किया जाए तो इसमें कमी आई है। 2007–2008 के वित्तिय वर्ष में पानी और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा पर वास्तविक खर्च दिल्ली के कुल खर्च का 7.4 प्रतिशत था जो कि 2010–2011 के वित्तिय वर्ष में घटकर 6.1 प्रतिशत हो गया।

- 2010–2011 में झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में पानी पर रू.900 लाख (US$2 मिलियन)[5] और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा पर रू.2400 लाख (US$5.32 मिलियन) खर्च किया गया। यह प्रश्न करने योग्य बात है कि क्या निम्न आर्थिक रिहायशी इलाकों में बढ़ती आबादी और जैसा कि हमने अध्ययन में अस्वस्थ्यकारी साफ सफाई व शौचालय की सुविधा को पाया, उसे ध्यान में रखते हुए क्या यह बजट उचित और उपयुक्त है। यह देखते हुए कि दिल्ली प्रशासन 2011–12 में प्रति जे जे कॉलोनी पर पानी सप्लाई पर केवल रू 30 (US$0.66) और साफ सफाई और शौचालय पर रू 80 (US$1.78) खर्च करती है, यह अनुपयुक्त बजट निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है।

- हांलाकि सरकार हर साल जेंडर बजट वक्तव्य लेकर आती है, पंरतु इसमें पानी और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा का ज़िक्र नहीं होता है। न ही पानी और साफ सफाई विभाग और न ही शहरी विकास विभाग जेंडर बजट वक्तव्य में अपनी रिर्पोट पेश करते हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में औरतों के पानी और साफ सफाई में हिस्से को जॉच पाना मुश्किल हो जाता है। जेंडर बजट वक्तव्य में अपनी रिर्पोट पेश करने के लिए इन विभागों से मांग की जानी चाहिए ताकि बजट बंटवारे की वास्तिक तस्वीर सामने लाई जा सके।

- बवाना और भलस्वा की पुनर्वास कॉलोनियों में सीवर और नालियों की सबसे बड़ी समस्या और विवाद है जैसा कि एम सी डी और डी यू एस आई बी द्वारा पहचाना किया गया। जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड केवल पानी प्रदान करता है और ज़मीन के अंदर सीवर की इंतज़ाम नहीं, अतः एम सी डी द्वारा इलाके को साफ सुथरा रखने का प्रयास विफल साबित होता है। अध्ययन क्षेत्र में यह जानना मुश्किल हो गया कि आखिरकार पानी और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा प्रदान कराने की जवाबदारी किसकी है।

- स्थानिय प्रशासन और दिल्ली जल बोर्ड, एम सी डी और डी यू एस आई बी जैसी एजेन्सियों के बीच तालमेल और विचार विमर्श न होने की वज़ह से रिसर्च में दिखाया गया कि इससे गलतफ़हमी और गैरज़िम्मेदाराना रवैया पूरे विभाग में पाया गया। इसके लिए व्यापक राजनैतिक दृश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस क्षेत्र में लगातार कम वित्तिय सहयोग देना शहरी विकास के लिए पानी और साफ सफाई व शौचालय की सुविधा के प्रति राजनैतिक उपेक्षा को प्रतिबिम्बित करता है; इसके अलावा जे जे पुर्नवास कॉलोनियों में रहने वाले रिहायशियों के प्रति यू एल बी द्वारा उपेक्षा का भाव पाया गया। हाल ही में विधानसभा के स्थानिय इलाके के विभाग (एम एल ए एल ए डी) सदस्य योजना के तहत एम सी डी कॉन्सलर को रू.200 लाख से बढ़कर रू.400 लाख और रू.105 लाख अतिरिक्त पैसे के फंड मिलने से सरकार के चयनित प्रतिनिधि के हाथ में वित्तिय सत्ता आ गई है। यह फंड किस तरह से खर्च किया जा रहा है इसकी निगरानी पारदर्शिता और जवाबदारी लाने के लिए अति आवश्यक है।

- शहरी पानी और सार्वजनिक सुविधाओं का निजीकरण होना चिन्ता का विषय है। अध्ययन क्षेत्र में, हंलाकि एम सी डी सामुदायिक शौचालय कम्पलैक्स (सी सी टी) इस्तेमाल करने में कोई शुल्क नहीं लगाती है, परन्तु जिन शौचालयों का प्रबन्धन निजी एजेन्सियों के पास है वे इस्तेमाल के लिए शुल्क लेते हैं जिससे समुदाय पर वित्तिय बोझ डालते हैं और खासतौर पर महिलाओं पर क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए भी शुल्क देना पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रेनेवल मिशन (जे एन

एन यू आर एम) के अन्तर्गत निजी और सार्वजनिक भागीदारी बातचीत के तहत निजीकरण से शहरी गरीब के लिए उनकी हैसियत से ज्यादा खर्च की संभावना है।

नोट्स

[1] 6 दिन में एक बार टैंकर से पानी सप्लाई होता है इसलिए पानी भरने की निरन्तरता के दो विकल्प प्रस्तुत हैं – टैंकर से सप्लाई और सार्वजनिक स्टैन्ड पोस्ट। टैंकर के लिए पानी भरना 6 दिन में एक बार होता है और स्टैन्ड पोस्ट से पानी भरने की स्थिति रोज़ की है।

[2] यह हिसाब दोनों ही ब्लाक में औसतन 2 चक्कर/दिन में/साल के हिसाब से लगाया गया है।

[3] भलस्वा जे जे कॉलोनी में मीटर रहित पानी की व्यवस्था की वज़ह से स्लम और जे जे कॉलोनी विभाग दिल्ली जल बोर्ड की लगभग रू.3 करोड़ की कर्जदार है।

[4] ग्रांट के लिए विस्तृत मांग एक विस्तृत बजट दस्तावेज़ है जिसमें युनिट के स्तर पर सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों और युनिट के खर्चे का ब्योरा रहता है।

[5] नोटः 1 मिलियन, दस लाख रूपये होता है और 27 जून 2011 तक भारतीय रूपये को अमरिकन मूल्य में परिवर्तित किया जाए तो 1 $ का रू.45.0875 होता है।

साभार सूची

लेखन : सुरभी टंडन महरोत्रा, सुनिता धर, प्रभा खोसला (WICI)

इस अध्ययन के मदद में अनूभा सिंह, वीरमति, मूर्ति एवं उमा (एक्शन इंडिया)

कैलाश, सरिता बलूनी, चैताली हलदर (जागोरी)

अध्ययन परामर्शदाता समितिः आभा भाईया, अखिला सिवदास, गौरी चौधरी, फिरोजा महरोत्रा, कल्पना विश्वनाथन, नाफिसा बरोत, सारा अहमद, सरोदबाला योशी।

जेंडर बजेटिंग विश्लेषण अध्ययनः सी बी जी ए – स्वप्ना बिष्ट, तृशा, ज्ञाना, पूजा, सुब्रत, यामिणी

पार्टनरः कृति, वनवल्ड फाउंडेशन एवम् विमेनस फिचर सर्विस।

हम बवाना और भलस्वा समुदाय की नेतृत्वकारी महिलाओं को उनकी प्रतिबद्वता, सहयोग देने और दिशा निर्देश के लिये धन्यवाद देना चाहते हैं।

इसके साथ हम जागोरी टीम का धन्यवाद देते है जिन्होने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गीथा, जुही, मधु, महावीर, नीतु, राधा खान, रत्न मंजरी, सचिन, सदरे आलम, सीमा श्रीवास्तव, श्रुति, योगिता एंव योसेफिना एंव अन्य टीम।

बवाना –

महिलाऐंः अफसाना, अमरेकाए अमृता, अखतारी, भतेरी देवी, बदरून्निसा, बिमला, विद्या, चुन्नि, चंदुला, गुलाब देवी, गीता, गुलशन, हुसनारा बिवि, इंदु, काजल, केंदुला देवी, किरण, कौशल्या, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मधु, मीरा देवी, मिथीलेश देवी, मुकसुदा, मार्रचिक, मुसलिमा, महमुदा खातुन, मुन्नी, मुन्नी, मुसतर, माजदा, ममता, मथुला, नाफिसा, नासिमा, नीलिमा देवी, निर्मला, नूरबानों, प्रभावती देवी, पुनम, प्रेम देवी, पुष्पा, प्रेमवती, फुला देवी, फुलकुमारी, फुलकांति, राजेंद्री, रामबाई, रामवती, रोशन खातुन, रूबैदा, सबेरा, साकिना, सालमा, समसा खातुन, सरस्वती, सायरा, साकिया, सहरून्निसा, सुदामा देवी,

सरला देवी, सीता देवी, संगीता, सतना, शांति देवी, सरोज, सत्यभामा, शीला, शाहनाज, शमशाद, शोभा, उर्मिला।

किशोरियांः अमृता, अनिता, हीना, जमुना, जुलि, फरजाना, फिरदौस, तबस्सुम, महमुदा, नाफिसा, नासरिन, नीतु, नीता, राधा, रानी, रेशमा, रमा, रेशमा, शबाना, सलमा, सोना, पुजा, पुजा, पुनम, प्रियांका, पुनम, ललिता, लक्ष्मी, जाहिदा, उषा।

किशोरः अनिल, अविनाश, दीपक, घनश्याम, इनाम, महम्मद आली, महम्मद रिजवान, राहुल, राम अवतार, सनाउल्ला, सुनील, पिंकू।

सुविधा मुहैया करने वाले : श्री अंशु प्रकाश (पूर्व एडिशनल कमीशनर एम सी डी), श्री प्रदीप खंडेलवाल (वरिष्ठ अभियंता, नगर निगम), इंद्रा (सफाई कर्मचारी गाईड, नगर निगम), श्री बलवीर सिंह (सफाई निरीक्षक, नगर निगम), श्री बाल किशन (स्थानीय सफाई कर्मचारी, नगर निगम), श्री अनवर भईया (प्रधान)।

संस्थाः बवाना एन जी ओ एलायेंस, अनहद मिडिया

सभी एक्शन इंडिया टीम एवं भलस्वा समुदाय।

हार्दिक धन्यवादः डब्लू आई सी आई टीम के आदिल, केथरीन एंव प्रभा और आई डी आर सी के डॉक्टर केरी मिशेल।

साथ ही ICCO, EED और MISEREOR का धन्यवाद देना चाहते हैं।

B-114, Shivalik, Malviya Nagar,
New Delhi 110017-12, India.
Phone: +91 11 2669 1219,
+91 11 2669 1220;
Telefax: +91 11 2669 1221
Jagori Helpline +91 11 2669 2700
www.jagori.org
safedelhi@jagori.org
www.safedelhi.jagori.org

FEMMES MUJERES WOMEN
ET VILLES Y CIUDADES IN CITIES
international

6465 Avenue Durocher, Suite 309
Montreal, Quebec, Canada, H2V 3ZI
T/F: + 1 514 861 6123
www.womenincities.org